

6/8/2024

फरावली पेशादूक, अद्विच वाडीगण
 के आवेदन पर फरावली शिगाह से तलब
 की गयी, अद्विच वाडीगण व स्वयं
 वाडीगण उपर होकर शार्चना पर पेश
 किया वाडीगण एवं परिवारवाडीगण के
 मध्य आम में शर्जीनाम हो गया है
 व वाडीगण अब उक्त प्रकार में
 कोई कार्रवाही नहीं चाहता है, इस
 हेतु ओरिजिनल पर वाडीगण द्वारा
 दस्तावेज मिले, महत्तान अधिकता
 वाडीगण द्वारा की गयी, प्रकार में
 वाडीगण द्वारा कार्रवाही नहीं चाहने
 से प्रकार में अब कोई कार्रवाही
 होव नहीं रही है, अतः प्रकार में
 वाडीगण द्वारा कोई कार्रवाही नहीं
 चाहने से प्रकार इसी स्तर

Subodh
Adv.

परामर्श
 कार्यालय
 बिल्डिंग नं. 42


 उच्च न्यायालय
 उच्च न्यायालय

तारीख
हुक्म

न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
कोड़ा (भीलवाडा)

पु.सं. 56/2018 वा.स.प.म
हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जा

पर बागीगण ड्यार) कार्यावाही
नष्टी चाहने से स्वीकार किया जाता है
पत्रावली कैसल शुमार होकर 5 व
नम्बर से कम हो।


उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर कोड़ा